राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1807/2008/कोटा.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–II, प्रतिकरापवंचन, वृत्त–द्वितीय, कोटा .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स मांगीलाल मोदी पुत्र श्री भंवरलाल,
बडौदा, श्योपुर (M.P.). .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित :

श्री अनिल पोखरणा
उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी. कुमार,
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 14.05.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) प्रथम वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 227/आरएसटी/एनआरडी/2005–06 में पारित किये गये आदेश दिनांक 04.01.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–द्वितीय, प्रतिकरावचंन वृत्त–द्वितीय कोटा (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.02.2006 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(5)(11)(12) तहत् आरोपित कर राशि रूपये 9,502/– व शास्ति राशि रूपये 71,267/– कुल मांग राशि रूपये 80,769/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 16.02.2006 को वाहन संख्या RJ20-AS/0175 को रोक कर चैक किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मांगने पर वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल (सोयाबीन) से संबंधित मैसर्स जय मातादी ट्रांसपोर्ट, श्योपुर, मध्यप्रदेश की बिल्टी संख्या 489 दिनांक 15.02.2006 प्रस्तुत की गई, एवं उक्त बिल्टी के अलावा अन्य कोई बिल अथवा समर्थित दस्तावेज नहीं पाया गया, जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 78(2) का उल्लंघन मानकर वाहन को डिटेन किया जाकर प्रत्यर्थी व्यवहारी को नोटिस जारी किया गया, जिसकी पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करते हुए परिवहनित माल से सम्बन्धित अन्य दस्तावेजात भी प्रस्तुत किये गये। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवम् दस्तावेजों से असतुष्ट होते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी पर अधिनियम की धारा 78(5) के तहत् शास्ति रूपये 71,267/– एवम् धारा 78(11)(12) के तहत् डीम्ड डीलर मानते हुए कर रूपये 9,502/– का आरोपण कर दिया।

लगातार.....2

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उन्होने अपने आदेश दिनांक 04.01.2008 द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित कर व शास्ति को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि वक्त परिवहन परिवहनित माल के साथ बिल्टी के अलावा अन्य कोई दस्तावेज यथा बिल व समर्थित दस्तावेज नहीं था, जिससे स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी करापवंचन की नियत से माल का परिवहन कर रहा था, जिस पर कर निर्धारण अधिकारी ने उचित रूप से मांग राशि का आरोपण किया है। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपास्त करते हुए अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से उनके अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर बहस के दौरान कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा स्वयं खेती का कार्य किया जाता हैं, जिससे उनके पैदा हुई सोयाबीन को राज्य बाहर (श्योपुर) से कोटा में आढतियों के माध्यम से विक्रय हेतु भेजा गया था, जिसमें बिल की आवश्यकता नहीं होने से परिवहनित माल के साथ बिल उपलब्ध नहीं था, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना जांच किये ही कर व शास्ति का आरोपण कर दिया, जो अनुचित था। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया, एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अध्ययन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मात्र बिल्टी के आधार पर माल का परिवहन किया जा रहा था, जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लंघन माना। जबकि कर निर्धारण अधिकारी के नोटिस के जवाब के साथ प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा कृषि भूमि श्योपुर मध्यप्रदेश में मौजूद होने, ग्राम पंचायत ललित पुरा श्योपुर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया था। अब चूंकि माल प्रत्यर्थी व्यवहारी एक किसान है, एवं परिवहनित माल उनके स्वयं के द्वारा खेत में उगाया गया था, अतः इसके साथ बिल की आवश्यकता नहीं होती है। प्रस्तुत अपील में कोई नया बिन्दु सामने नहीं आया है। अतः अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को उचित रूप से अपास्त किया है।

7. फलतः अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है, एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.01.2008 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य